(2)

न्यायालय राजस्व मंडल म०प्र० ग्वालियर

(जबलपुर)

प्र०क्र० 2364/PBR/2014

शहजाद खान
वि०
म० प्र० शासन

आवेदनपत्र प्रकरण को वापस लेने बाबत

महोदय,

निवेदन है कि

(1) यह उक्त प्रकरण में अन्तर्गत धारा आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत आदेश पारित किया गया उसकी अपील आबकारी आयुक्त ग्वालियर के समक्ष होना थी। अभिभाषक द्वारा उक्त अपील को संभागीय आयुक्त जबलपुर में पेश कर दी जिसे माननीय राजस्व मंडल को भेज दिया गया। माननीय न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है।

(2) यह कि उक्त अपील को आबकारी आयुक्त ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु अपीलांट वापस लेना चाहता है। जिससे सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सके।

अतः निवेदन है कि उक्त अपील प्रकरण को वापस करने की कृपा करें। जिससे सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सके।

दि० 9-9-14

अपीलांट
शहजाद खान
[signature]

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2364–पीबीआर/2014 जिला जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
09–09–2014	पीठासीन अधिकारी अवकाश पर होने से प्रकरण मेरे समक्ष सुनवाई हेतु प्रस्तुत हुआ । आवेदक अधिवक्ता श्री आर0एस0सेंगर उपस्थित। अनावेदक शासन की ओर से श्री एच0के0अग्रवाल पेनल लॉयर उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता ने उपस्थित होकर बताया कि प्रकरण भूलवश इस न्यायालय में प्रस्तुत हो गया है, सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापिस किये जाने का निवेदन किया । निवेदन स्वीकार । प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापिस किया जाता है । प्रशासकीय सदस्य	